रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 4, 2019/पौष 14, 1940
No. 42] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 4, 2019/PAUSHA 14, 1940

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2019

का.आ. 46(अ).—यतः केन्द्र सरकार ने अनुसूची में सम्मिलित 6 उत्पादों हेतु दिनांक 05 सितम्बर, 2017 के का.आ. 2920 (अ) के तहत 'सौर प्रकाशवोल्टीय, प्रणालियाँ, उपकरण और घटक सामग्री (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2017' जारी किया था जिसके प्रभावी होने की तारीख 5 सितम्बर, 2018 तय की गई। और यतः भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) सहित विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त उक्त आदेश के प्रभावी होने की तारीख पहले अर्थात् 16 अप्रैल, 2018 कर दी गई जिसे का.आ. सं. 1602(अ) के तहत दिनांक 16 अप्रैल, 2018 को अधिसूचित भारत के राजपत्र में प्रकाशित और 30 जून, 2018 तक प्रभावी आदेश के साथ अनुबद्ध अनुसूची में क्रम सं. 1-3 के उत्पादों के लिए विनिर्माता द्वारा स्वतः प्रमाणन देने की शर्त पर दिनांक 30 मई, 2018 को भारत के राजपत्र में संशोधित का.आ. 2183(अ) के तहत प्रकाशित किया गया था।

2. और यतः उद्योगों ने आदेश के अनुपालन के लिए और अधिक समय मांगा और जबकि इससे संबंधित मुद्दों पर संबंधित हितधारकों के साथ चर्चा की गई, स्व-प्रमाणन को 13.07.2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. 3449(अ) के माध्यम से 04 सितम्बर, 2018 तक बढ़ा दिया गया, जिसे बाद में 12 सितम्बर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. सं. 4787(अ) के तहत आदेश में सूचीबद्ध सभी उत्पादों के लिए 20 सितम्बर, 2018 तक बढ़ा दिया गया, और बाद में आदेश के सुचारु कार्यान्वयन के लिए संलग्न अनुसूची में प्रत्येक उत्पादों के समक्ष उल्लिखित कार्यान्वयन की तिथियों के साथ सभी उत्पादों के लिए दिनांक 12.10.2018 के का.आ. 5259(अ) के तहत 20 सितम्बर, 2018 से बढ़ाकर 01 जनवरी, 2019 कर दिया गया।

3. और यतः इनवर्टरों के परीक्षण (मद 4-5) से संबंधित मामलों पर उद्योग और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मान्यताप्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं के साथ चर्चा की गई है, एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इन मदों के लिए स्व प्रमाणन छूट की तारीख को 6 माह के लिए अर्थात् 30 जून, 2019 तक इस शर्त के अध्यधीन बढ़ाया जाता है कि ऐसे विनिर्माताओं के पास मान्य आईईसी और अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशालाओं से भारतीय मानकों के अनुरूप परीक्षण रिपोर्टें हों। इन विनिर्माताओं को परीक्षण प्रयोगशालाओं में प्रतिदर्श (सैम्पल) जमा किए बगैर स्व प्रमाणन की अनुमति दी जाएगी क्योंकि परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्रतिदर्श प्रस्तुत करने संबंधी श्रृंखला दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

[फा. सं. 223/36/2018-गुणवत्ता नियंत्रण]

डॉ. बी. एस. नेगी, सलाहकार/वैज्ञानिक 'जी', एमएनआरई

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2019

S.O. 46(E).—whereas the Central Government had issued "Solar Photovoltaics, Systems, Devices and Components Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2017" *vide* S.O. 2920(E) dated 5th September, 2017 for six products included in the Schedule with the date of coming into force with effect from 5th September, 2018. And whereas, after having discussions with the various stakeholders including the Bureau of Indian Standards (BIS), the date of coming into force of the said Order was advanced to 16th April, 2018 on the condition of self-certification by manufacturers for products at Sl. No. 1-3 in the Schedule annexed to the order applicable till 30th June, 2018 published in Gazette of India notified on 16th April, 2018 *vide* S.O. 1602(E), which was revised *vide* S.O. 2183(E) published in Gazette of India on 30.05.2018.

2. And whereas, the industry had sought more time for compliance to the order and whereas the issues involved were discussed with related stakeholders, the self-certification was extended to 4th September, 2018 *vide* S.O. 3449(E) published in Gazette of India on 13.07.2018, which was further extended to 20th September 2018 for all products listed in the order *vide* S.O No. 4787(E) published in Gazette of India on 12th September 2018, and further to 1st January 2019 from 20th September, 2018 *vide* S.O. 5259(E) dated 12.10.2018 for all items with dates of implementation indicated against each product in the Schedule annexed for smooth implementation of the order.

3. And whereas, the issues related to testing of inverters (items 4-5) was discussed with industry and test labs recognized by BIS, it is hereby notified that the date of self- certification relaxation for these items stands extended by six months i.e. up to 30th June 2019 subject to the condition that such manufacturers should have valid IEC and test reports from international test labs corresponding to IS. These manufacturers will be allowed self-certification without submitting samples to test labs as the series guidelines for submitting samples to test labs are under preparation.

[F. No. 223/36/2018-Quality Control]

Dr. B. S. NEGI, Adviser/Scientist 'G', MNRE

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.01.04 19:55:13 +05'30'